संख्या– 3925 / III(2)/08–52(प्रा.0आ0)/2006

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 29 जनवरी, 2009

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2008–09 में जनपद पौड़ी में सतपुली मरोड़ा व्यासघाट मोटर मार्ग के किमी0 11 में मंगोली गांव के पास नयार नदी पर 90 मी0 स्पान के झूला पुल के निर्माण का पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता ग0क्षे. लो0नि0वि0 पौड़ी के पत्र संख्या– 1843/36(475) यात्रा0–पर्व/07 दिनांक 23–04–08 के संदर्भ में एवं शासनादेश सं0–2755/III–2/ 06–52(प्रा0आ0)/06 दिनाक 10–11–06 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0. लो0नि0वि0 पौडी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रश्नगत कार्य के रूपये 166.77 लाख की लागत के पुनरीक्षित आगणन पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रूपये 166.77 लाख (रूपये एक करोड छियासठ लाख सत्तर हजार मात्र) की लागत के पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2. उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि शासनादेश सं0–2755/III–2/ 06–52(प्रा0आ0)/06 दिनांक 10–11–06 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु प्रदान की गई स्वीकृति रू0 98.75 लाख की धनराशि को घटाते हुए रू0 68.02 लाख (रुपये अड़सठ लाख दो हजार मात्र) की पुनरीक्षित वृद्धि में इस कार्य को पूर्ण करा लिया जायेगा तथा अब इसके लिए कोई भी अतिरिक्त वृद्धि किन्ही भी कारणों से नही होगी। उक्त शासनादेश केवल उक्त अनुमन्य सीमा तक ही संशोधित समझा जाय। पूर्व स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कोई धनराशि आवंटन के बाद व्यय कर दी गई हो तो उस धनराशि को समायोजित करके अवशेष धनराशि ही बालू कार्यो पर अवमुक्त की जायेगी।

3. उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेंट नियमावली, 2008 में उल्लिखित अनुदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

5. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। शासनादेश संख्या–475/XXVII (7)/2008 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 की व्यवस्थानुसार मानक एम0ओ0यू0 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निष्पादित कर लिया जायेगा।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

10. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

11. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी ।

12. उक्त योजना पर व्यय संगत मद में (मार्ग के चालू कार्य) के निवर्तन पर रखी गई धनराशि से आवश्यकतानुसार अपने स्तर से ही किया जाये।

13. यह आदेश लोक निर्माण विभाग की पत्रावली संख्या–52(प्रा0आ0)/06 में प्राप्त वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव

संख्या– 3925 (1)/III(2)/08–52(प्रा.0आ0)/2006 , तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी।
4. मुख्य अभियन्ता ग.क्षे. लो0नि0वि0 पौड़ी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. अधीक्षण अभियन्ता, 12 वाँ वृत्त,लो.नि.वि., पौड़ी।
8. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पौड़ी।
9. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
10. लोक निर्माण अनुभाग–2/3/ गार्ड बुक उत्तराखण्ड शासन

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव